न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/11/2024	2024/28	01.03.2024	02.01.2025

1. बुद्धा पुत्र किशन जाति मीणा निवासी ग्राम नंगली राजावत तहसील व जिला अलवर।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर राज0।
2. काली पुत्री हरलाल,
3. गुल्लाराम पुत्र कन्हैया,
4. धौल्या पुत्र हरलाल,
5. प्रभु पुत्र हरलाल,
6. प्रेम पुत्री हरलाल,
7. मंग्याराम पुत्र कन्हैया,
8. रूपकला देवी पत्नी स्व0 गुटारी,
9. लटूर पुत्र हरलाल,
10. लालू पुत्र रामू,
11. खुशीराम (नाबालिग) पुत्र गुटारी, संरक्षक सरपरस्त माता
12. टम्मी (नाबालिग) पुत्र गुटारी, संरक्षक सरपरस्त माता
13. संजना (नाबालिग) पुत्र गुटारी, संरक्षक सरपरस्त माता

समस्त जातियान मीणा, निवासीयान ग्राम नंगली राजावत, तहसील व जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 214 दिनांक 15.12.2023 ग्राम नंगली राजावत, तहसील व जिला अलवर।

उपस्थितः—

01—श्री गोविन्द राम यादव —वकील अपीलाण्ट

02—श्री दीपक मीना —राज0 वकील रेस्पो0 सं0 01

03—श्री राकेश शर्मा —वकील रेस्पो0 02 लगा0 13

—ःनिर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 214 निर्णय दिनांक 15.12.2023 ग्राम नंगली राजावत, तहसील व जिला अलवर तह0 अलवर द्वारा निर्णय पारित किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि तहसीलदार अलवर ने दिनांक 15.12.2023 का नामांतकरण संख्या 214 न्यायालय के आदेश के अनुसार तस्दीक किया गया है। तहसीलदार अलवर ने इन्तकाल संख्या 214 पूर्णरूप से न्यायालय के आदेशानुसार नहीं खोला न्यायालय सहायक कलेक्टर अलवर के आदेश दिनांक 04.04.2023 को किया गया जो आदेश आराजी के बंटवारे के बारे में किया गया था आदेश की प्रति अपील के साथ संलग्न हैं। अदालत ने अपने आदेश में मुताबिक कुर्रजात फैसला दिया था जिस आदेश में ख0नं0 229 मि. रकबा 0.03 हैक्टेयर जिसका नया नंबर 415/229 0.03 हैक्टेयर वना है सभी खातेदारान के रास्ते के उपयोग हेतु बताया गया है। तहसीलदार अलवर ने इन्तकाल संख्या 214 दर्ज करते वक्त ख०नं० 229 मि. 0.03 हैक्टेयर जिसका नया नम्बर 415/229 रकबा 0.03 हैक्टेयर को सभी खातेदारान के खातेदारी में दर्ज

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

कर दिया जबकि मुताबिक डिक्री सभी खातेदारान के रास्ते की आराजी दर्ज करना चाहिये था। अपीलांट ने जब जमाबंदी की नकल दिनांक 21.12.2023 को ली तो अपीलांट को इसकी जानकारी हुई इस पर अपीलांट तहसीलदार से मिला तथा इसको दुरूस्त करने के लिए कहा तो तहसीलदार अलवर ने इसको दुरूस्त करने से मना कर दिया इसके पश्चात् अपीलांट ने इन्तकाल की नकल के लिये आवेदन किया जो नकल दिनांक मिली जिस पर बिना किसी देरी के यह अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। इन्तकाल तहसीलदार अलवर के द्वारा निर्णित किया है जिसकी अपील न्यायालय श्रीमान द्वारा श्रवण योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 214 में ख0नं0 415/229 रकबा 0.03 को सभी खातेदारान की रास्ते की भूमि दर्ज की जावे एक कालम नं० 3 में चाही 3 के स्थान पर रास्ता दर्ज किया जावे व अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो प्रदान की जाये।

रेस्पो0 सं0 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर (भू.अ.) द्वारा नामान्तकरण संख्या 214 दिनांक 15.12.2023 वाके ग्राम नंगली राजावत तह0 व जिला अलवर स्वीकार करते समय न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय/पर्चा डिग्री दिनांक 04.04.2023 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 229 मिन रकबा 0.03 है0 को सभी खातेदारानों की खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, जबकि न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के निर्णय/पर्चा डिग्री दि0 04.04.2023 में आ0ख0 नं0 229 मिन रकबा 0.03 है0 सभी खातेदार एवं सह–खातेदारों के रास्ते के उपयोग हेतु निर्णय पारित किया गया है। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत प्रकार से नामान्तकरण संख्या 214 दिनांक 15.12.2023 में आ0ख0 नं0 229 मिन रकबा 0.03 है0 दर्ज कर दिया गया जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का नामान्तकरण संख्या 214 दिनांक 15.12.2023 निरस्त किया जाता है। पत्रावली तहसीलदार अलवर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय सहायक कलक्टर के निर्णय डिक्री दिनांक 04.04.2023 की पालना में नामान्तकरण दर्ज करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)